

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/विविध-07-46/2008-----/राँची, दिनांक:-----/

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान से Self Study mode में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

क्रमांक	नाम/पदस्थापन/कार्यालय	शिक्षण संस्थान	कोर्स का नाम
1	2	3	4
1	श्री मृत्युंजय कुमार, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-07, गालूडीह	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)
2	श्री मुकेश कुमार, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)
3	श्री ब्रज किशोर महतो, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो	आई.सी.ई.(इंडिया)	एसोसिएट मेम्बरशिप (AMICE)
4	श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ डिम्ड युनिवर्सिटी उदयपुर	असैनिक अभियंत्रण में स्नातक (बी.टेक.)

वर्णित 4 (चार) कनीय अभियंताओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी गयी है -

1. इनके शिक्षा अवधि में सरकारी कार्य सुचारु रूप से किया जायेगा तथा विभागीय वित्त अक्षुण्ण रहेगा।
2. प्रैक्टिकल में घंटों को करने हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से अवकाश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर Out of term प्रोन्नति का दावा गान्य नहीं होगा।
4. इस शिक्षा के लिये किसी प्रकार का ट्यूशन-शुल्क, यात्रा भत्ता अथवा छात्रवृत्ति अनुमान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन,

ह. / -

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-07, गालूडीह/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो एवं संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)